

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल 2011—वैशाख 6, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 2606-165-इक्कीस-अ (प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20 अप्रैल 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०११

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २० अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २६ अप्रैल, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ५३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, चतुर्थ परन्तुक का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(१४) (क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक की दशा में, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वैसी अपेक्षा की जाए, रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल या प्रबंध निकाय को (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) हटाने के लिये तथा सहकारी बैंक के कामकाज का प्रबंध करने के लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक की उतनी कालावधि या कालावधियों के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिए जितनी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, आदेश किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक अपनी पदावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी नई समिति का प्रथम सम्मेलन आयोजित होने के दिन से अव्यवहित पूर्व की तारीख तक पद पर बना रहेगा.

(ख) प्रशासक की इस प्रकार नियुक्ति हो जाने पर, उपधारा (४) और (५) के उपबंध उस पर भी लागू होंगे.

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित किए जाने पर किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा तथा ऐसा आदेश किसी भी रीति में प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा.”

धारा ५९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५९ में, उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(६) (क) रजिस्ट्रार जांच पूरी होने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर निम्नलिखित को जांच की रिपोर्ट संसूचित करेगा,—

(एक) संबंधित सोसाइटी को;

(दो) आवेदकों को या ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को,

(ख) जांच की रिपोर्ट मांग की जाने पर,—

(एक) सोसाइटी के किसी सदस्य को;

(दो) उस संघ को, जिसकी कि सोसाइटी सदस्य है;

(तीन) लेनदार को भी,

विहित फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करने से एक मास के भीतर प्रदाय की जाएगी.”

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2011

क्र. 2607-165-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 OF 2011

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 20th April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th April, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Second Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2011.

Short title.

2. In Section 53 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

Amendment of Section 53.

(i) in sub-section (1), fourth proviso shall be omitted;

(ii) after sub-section (13), the following new sub-section shall be added, namely:—

“(14) (a) Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of any Co-operative Bank, if so required by the Reserve Bank of India, an order shall be made by the Registrar for the removal of the Board of directors or managing body (by whatever name it is called) and for the appointment of an administrator, to manage the affairs of the co-operative Bank, for such period or periods, not exceeding five years in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank of India, and the administrator so appointed shall continue to remain in office even after the expiry of his term of office till the date immediately preceding the day of holding the first meeting of the new committee. (b) On such appointment of an administrator, the provisions of sub-sections (4) and (5) shall also be applicable on him. (c) No appeal, revision or review shall lie or be permissible against an order such as is referred to in clause (a) made on the requisition of the Reserve Bank of India and such order shall not be liable to be called in question in any manner.”.

3. In Section 59 of the Principal Act, after sub-section (5), the following new sub-section shall be added, namely:—

Amendment of Section 59.

“(6) (a) The Registrar shall, within a period of one month from the date of completion of inquiry, communicate the report of the inquiry,—

(i) to the society concerned;

(ii) to the applicants or the person authorized by the applicants to receive such a report.

(b) The report of inquiry shall also be supplied on being demanded by,—

(i) any member of a society;

(ii) Federation of which the society is a member;

(iii) creditor,

within one month from presenting an application along with prescribed fee.”.